मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय
//सूचना//

भोपाल दिनांक 17/02/2021

क्रमांक–एफ–3–26/2021/18–5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक–3910/वि.यो. 496/नग्रानि/2020, भोपाल दिनांक 24/09/2020 द्वारा प्रकाशित सिहोरा विकास योजना 2011 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सिहोरा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:–

1 आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0 ।
2 कलेक्टर, जिला जबलपुर म0प्र0 ।
3 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर म0प्र0 ।
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सिहोरा म0प्र0 ।

अनुसूची

क्रं.	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	उपांतरण पश्चात् प्रावधान
1	**अध्याय–6** **6.2 क्षेत्राधिकार** **13. कोई नहीं**	**अध्याय–6** **6.2 :– क्षेत्राधिकार** अनुकमांक 12 के पश्चात अंतः स्थापित किया जाता है । 13. झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते है यदि झुग्गी/झोपड़ी को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में सिर्फ आमोद प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी का व्यवस्थापन ग्राहय होगा । इसमें भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना एवं शहरी गरीबों की परियोजनाओं को भी तदनुसार अनुमति/अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी ।
2	**अध्याय–6** सारणी 6–सा–13 के क्रमांक 4 कॉलम 4 सारणी 6–सा–13 के क्रमांक 7 कॉलम 4	अध्याय–6 सारणी 6–सा–13 के क्रमांक 4 कॉलम 4 में पेट्रोल पम्प के पश्चात् अंतः स्थापित किया जाता है । सूचना प्रौद्योगिकी * , गैर प्रदूषणकारी उद्योग** सारणी 6–सा–13 के क्रमांक 7 कॉलम 4 में ढाबा के पश्चात् अंतः स्थापित किया जाता है ।

		सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग** , कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या–

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये ।

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम–17(क) में वर्णित अनुसार।

टीपः– उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ0 शुभाशीष बैनर्जी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

CM Ghoshna Vikas yojana